

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट-163, दिनांक 29-05-2025

लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य एवं हासिम बाबा का शार्प शूटर, दिल्ली में व्यापारी की हत्या की घटना एवं मकोका में वांछित कुख्यात अपराधी नवीन कुमार एसटीएफ के साथ साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान मृत घोषित।

दिनांक 28-05-2025 की रात्रि में एसटीएफ गौतमबुद्धनगर एवं स्पेशल सेल एनडीआर दिल्ली की संयुक्त कार्यवाही में लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य एवं हासिम बाबा का शार्प शूटर, दिल्ली में व्यापारी की हत्या की घटना एवं मकोका में वांछित कुख्यात अपराधी नवीन कुमार एसटीएफ के साथ साहसिक मुठभेड़ में घायल, चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान मृत घोषित किया गया।

मृतक अभियुक्त का विवरण:-

नवीन कुमार पुत्र सेवा राम निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी:-

- 1- 01 अदद पिस्टल 32 बोर (TAURUS)
- 2- 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
- 3- 04 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
- 4- 01 अदद मोटर साईकिल (नं० डीएल-4-एससीएस-9237)
- 5- 01 जोड़ी चप्पल
- 6- 02 अदद गमछा

घटना का दिनांक/समय/स्थान:-

दिनांक 28-05-2025 की रात्रि समय लगभग 22.20 बजे रात्रि। निजामपुर तिराहा की ओर, थाना कोतवाली जनपद हापुड क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के सदस्यों एवं इस गैंग के सक्रिय सदस्य हासिम बाबा आदि के सम्बन्ध में आपराधिक सूचनाएँ संकलित की जा रही थी तो ज्ञात हुआ कि यह गैंग भाड़े पर हत्या कराने एवं धन उगाही के लिए भय कारित करने तथा हत्या करने में संलिप्त है। इसी संदर्भ में एक व्यापारी की हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना फर्श बाजार दिल्ली में मु०अ०सं० 629/24 धारा 103(1), 3(5), 249, 61(2), 303, 318, 336, 341 बी०एन०एस० एवं 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 43/66/66बी/72 आई०टी० एक्ट एवं 3/4 मकोका का अभियोग पंजीकृत है। अभिसूचना संकलन के दौरान स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को इस हत्या की घटना में जनपद गाजियाबाद निवासी नवीन कुमार की संलिप्तता प्रकाश में आने के बाद वांछित चल रहा है। दिनांक 28-05-2025 को निरीक्षक श्री पंकज कुमार के नेतृत्व में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस एवं एसटीएफ नोएडा की टीम का नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी नवीन कुमार अपने साथी के साथ मोटर साईकिल से जनपद हापुड की तरफ किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए हापुड पहुँचकर निजामपुर तिराहा के पास घेराबंदी की गयी तो कुछ देर के बाद निजामपुर तिराहा की ओर से एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिनको रूकने के लिए कहा गया परन्तु मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हथियार निकाल कर पुलिस को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी जिसके जवाब में एसटीएफ टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गया और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु निकट के अस्पताल भेजा गया जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा परीक्षणोपरान्त उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक अभियुक्त की पहचान नवीन कुमार, उपरोक्त के रूप में हुई, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी

भी हुई। इस साहसिक मुठभेड़ में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक श्री विजेन्द्र दिवाच एवं एस0टी0एफ0 नोएडा टीम के पुलिस कर्मी मुख्य आरक्षी अंकुर सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम व स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

अभियुक्त नवीन कुमार के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि यह कक्षा 12 पास है तथा प्रारम्भ से ही गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को कारित करने लगा था। मृतक अभियुक्त नवीन कुमार पहली बार दिनांक 06-09-2008 को शस्त्र अधिनियम के केस में थाना सीमा पुरी दिल्ली से जेल गया था, इसके बाद से ही वह जग्गू पहलवान गैंग से जुड़ गया था और गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा था। वर्ष 2011 में जग्गू पहलवान की हत्या हो जाने के उपरान्त मृतक अभियुक्त नवीन कुमार के द्वारा ही जग्गू पहलवान गैंग का नेतृत्व किया जाने लगा था। इसके बाद मृतक अभियुक्त नवीन कुमार, हासिम बाबा (जो कुख्यात अपराधी लॉरेन्स गैंग से जुड़ा हुआ था) के संपर्क में आया और इस गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराधिक घटनाएँ करने लगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक अभियुक्त नवीन कुमार को थाना हर्ष विहार दिल्ली के अ0सं0 70/13 धारा 307/323/34 भादवि तथा थाना सीमापुरी दिल्ली के अ0सं0 642/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियोग में माननीय न्यायालय से सजा होने का तथ्य भी प्रकाश में आया है।

मृतक अभियुक्त नवीन कुमार उपरोक्त की अपराधिक गतिविधियां-

- 1- दिनांक 15-10-2009 को मृतक अभियुक्त नवीन कुमार द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हर्ष विहार दिल्ली निवासी अमित भारद्वाज की, जब वह अपना ईलाज कराने अस्पताल में गया था गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 2108/09 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।
- 2- दिनांक 03-01-2011 को अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर सुमित निवासी बाबरपुर दिल्ली का अपहरण कर हत्या की गयी थी तथा लाश को थाना मन्सूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र में फेंक दिया गया था। इस जघन्य हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना वेलकम दिल्ली में मु0अ0सं0 162/11 धारा 364/302 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।
- 3- दिनांक 05-11-2014 को दिल्ली के मेटल व्यापारी श्री संजय गुप्ता के ऑफिस में अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें 26 लाख रुपया एवं चॉदी के सिक्के लूट लिये गये थे। यह पूरी घटना सी0सी0टी0वी0 में रिकार्ड हो गयी थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार दिल्ली में मु0अ0सं0 464/14 धारा 392/397/411/34/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत है।
- 4- दिनांक 10-01-2015 को अपने साथी उदयवीर उर्फ भोला तथा अन्य गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्चस्व को कायम करने के लिए भौड़सी, गुरुग्राम हरियाणा में दोहरे हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना गुरुग्राम सदर पर मु0अ0सं0 292/11 धारा 307/302/120बी/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।
- 3- दिनांक 07-12-24 को कुख्यात अपराधी हाशिम बाबा के निर्देश पर मुकेश कुमार उर्फ सचिन के साथ मिलकर दिल्ली के व्यापारी सुनील जैन की हत्या की गयी थी। इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना फर्श बाजार दिल्ली में मु0अ0सं0 629/24 धारा 103(1), 3(5), 249, 61(2), 303, 318, 336, 341 बी0एन0एस0 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 43/66/66बी/72 आई0टी0 एक्ट एवं 3/4 मकोका का अभियोग पंजीकृत है।

मृतक अभियुक्त नवीन कुमार, उपरोक्त की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में भी जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त नवीन कुमार पुत्र सेवा राम का ज्ञात आपराधिक इतिहास—

- 1—मु0अ0सं0—261/08 धारा—25 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुर दिल्ली।
- 2— मु0अ0सं0—339/09 धारा—356/379/34 भादवि थाना आनन्द विहार दिल्ली।
- 3— मु0अ0सं0—718/09 धारा—25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
- 4— मु0अ0सं0—716/09 धारा—307 भादवि थाना सेक्टर 39 जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 5— मु0अ0सं0—2108/09 धारा—302 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
- 6— मु0अ0सं0—329/10, धारा—2/3 गैगस्टर एक्ट, थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
- 7— मु0अ0सं0—41/11 धारा—25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना स्पेशल सेल दिल्ली।
- 8— मु0अ0सं0—77/11 धारा—356/379/34 भादवि थाना प्रीत विहार दिल्ली।
- 9— मु0अ0सं0—97/11 धारा— 392/397/120बी/34 भादवि थाना जीटीबी एन्क्लेव दिल्ली
- 10— मु0अ0सं0—111/11 धारा—356/379/411/34 भादवि थाना वेलकम दिल्ली।
- 11— मु0अ0सं0—130/11 धारा—356/379/34 भादवि थाना पाण्डेय नगर दिल्ली।
- 12— मु0अ0सं0—162/11 धारा—364/302 भादवि थाना वेलकम दिल्ली।
- 13— मु0अ0सं0—292/11 धारा—307/302/120बी/34 भादवि थाना गुरुग्राम सदर हरियाणा।
- 14— मु0अ0सं0—70/13 धारा—307/323/34 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।
- 15— मु0अ0सं0—464/14 धारा—392/397/34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार दिल्ली।
- 16— मु0अ0सं0—3/15 धारा—25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार दिल्ली।
- 17— मु0अ0सं0—236/15 धारा—3 मकोका एक्ट थाना सदर बाजार दिल्ली।
- 18— मु0अ0सं0—642/16 धारा—25 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुर दिल्ली।
- 19— मु0अ0सं0—272/18 धारा—394/395/397/120बी/34 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट थाना जगतपुर दिल्ली।
- 20— मु0अ0सं0—629/24 धारा—103(1), 3(5), 249, 61(2), 303, 318, 336, 341 बी0एन0एस0 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 43/66/66बी/72 आई0टी0 एक्ट एवं 3/4 मकोका थाना फर्श बाजार दिल्ली।
- 21— मु0अ0सं0—328/25 धारा—109 बीएनएस थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड।

उपरोक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड पर मु0अ0सं0: 328/25 धारा 109 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
